सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 106/16 **निर्णय दिनांकः— 01.06.2018**

1. श्रीमती उच्छव कंवर पत्नी स्व. श्री प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर।
2. खुमसिंह
3. दिलीप सिंह
4. गीताकंवर
5. सीताकंवर
6. रमेश कंवर

पुत्र/पुत्री स्व. प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी नालबड़ी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. दीनदयाल पुत्र डूंगरमल जाति सोनी निवासी बल्लभ गार्डन, बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26—07—2011
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मोहन लाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26—07—2011 जिसके द्वारा अपीलांट के पति/पिता द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 96 मिन तादादी 22 बीघा 5 बिस्वा जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 264 तादादी 5.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 1214/266 तादादी 0.400 हेक्टर कुल तादादी 5.63 हेक्टर मौजारोही नालबड़ी पूर्व में विशाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी भूमि थी। विशाल सिंह की उपरोक्त खातेदारी भूमि सिलिंग सीमा से ज्यादा होने के कारण जरिये आदेश उपखण्ड अधिकारी, उत्तर बीकानेर दिनांक 30—09—1972 को आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये गये। अपीलांट के पिता ने वादगत् भूमि संवत् 2025 में काश्त पर ली थी। तब से अपीलांट के पिता जब तक जीवित थे उनके कब्जे काश्त में थी तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि अपीलांट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता डूँगरमल को संवत् 2040 में आवंटन की गई थी। लेकिन मौके पर कभी भी डूंगरमल का कब्जा काश्त नहीं रहा है। ना ही आज दिनांक को ही मौके पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की सही व्याख्या नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट का नाम केवल मात्र जमाबन्दी व गिरदावरी में दर्ज होने से वह खातेदार काश्तकार नहीं होता है। जबकि वादगत् भूमि पर कब्जा होना भी अनिवार्य है। वादगत् भूमि सिलिंग से अवाप्ति के समय से अपीलांट के पिता व वर्तमान में अपीलांट्स के कब्जे काश्त में है। संवत् 2037—2040 की गिरदावरी में रेस्पोडेन्ट को ट्रेसपासर के रूप में कब्जा माना गया है। इसप्रकार अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य उपलब्ध थे कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में दावा सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वाद पत्र व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व साक्ष्य आदि लेने के उपरान्त विधि सम्मत रूप से निर्णय पातिर करते। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम न्यायिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पर साक्ष्य लिये बिना, तनकीयात कायम किये बिना ही मनमानें तरीके से आदेश जैर

अपील द्वारा दावा वादी खारिज कर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दावा डिक्री किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि वादगत् भूमि सवंत् 2025 से अपीलांट के पिता के कब्जे काश्त में थी तथा उनके निधन के उपरान्त अपीलांट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट्स को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रकरण में अपीलांटस के पिता ही पैरवी करते थे। अपीलांट्स के पिता का निधन हो चुका है। अपीलांट्स वादगत् भूमि की निगरानी कर रहे थे तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं तीन चार अन्य व्यक्ति वादगत् भूमि पर आये तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को दिखाते हुए कहा कि उक्त भूमि खाली कर देवें। अपीलांट्स को आदेश जैर अपील की जानकारी तब प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा तत्काल अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नकल आदि प्राप्त की गई व उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसप्रकार अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008 एससी पेज 71, आरआरडी 1991 पार्ट I पेज 2016 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस करते हुए कथन किया रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने अदालत मातहत के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट/वादी को वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार अंकित हैं तथा खसरा गिरदावरी में भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को वादगत् भूमि के कोई हक व हकूक हासिल नहीं होते है। अपीलांट्स के पिता द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। जबकि राजस्व रिकार्ड से यह साबित है कि वादगत् भूमि पर कब्जा अपीलांट्स/वादी का नहीं रहा हैं ऐसी स्थिति में जब वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त ही नहीं है तो एडवर्स पजेशन के आधार पर वह किस प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है, स्पष्ट नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में अपीलांट/वादी स्वयं यह मान रहे है कि वादगत् भूमि डूंगरमल को आवंटित की गई है। वादगत् भूमि के आवंटन का इंतकाल भी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया जा चुका हैं रिकार्ड के अनुसार वादगत् भूमि प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्ज काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में लगातार कब्जा काश्त नहीं होने कोरण केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का दावा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट्/वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को आवंटित भूमि है तथा आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण एडवर्स पजेशन का नहीं बनता है। अपीलांट द्वारा ऐसा काई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त रहा हो। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अपीलांट का वाद बार्ड बाई लॉ के आधार पर खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 96 मीन तादादी 22 बीघा 5 बिस्वा जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 264 में तादादी 5.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 1214/266 तादादी 0.44 हेक्टर कुल तादादी 5.63 हेक्टर मौजारोही नालबड़ी के कब्जे काश्त व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

(2) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी प्रभूसिंह को वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदारी अंकित है तथा गिरदावारी भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है ऐसी स्थिति में वादी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है। अतः वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

(3) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि पर उसका निरन्तर कब्जा काश्त है। सवंत् 2037—2040 की गिरदावारी में वादी को ट्रेसपासर माना गया है। प्रतिवादी का कभी भी वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को वादगत् भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद प्रस्तुत करने की लोकस स्टैण्डाई प्राप्त है।

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट स्वयं अपने कथनों से यह स्वीकार कर रहे है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता डूँगरमल को संवत् 2040 में आवंटन की गई थी। प्रकरण में अपीलांट ने ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त साबित हो व जिसके आधार पर वह एडवर्स पजेशन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हो।

(5) अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी सवंत 2041 से यह साबित है कि वादगत् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 डूंगरमल वल्द बक्शीराम की काश्त दर्ज है तथा जमा बन्दी संवत् 2064—67 में वादगत् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी अंकित है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह साबित है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि रही है। वादगत् भूमि पर अपीलांट्स के कोई हक व हकूक साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादी/अपीलांट्स का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26—07—2011 सहायक कलेक्टर, बीकानेर बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर